कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी, गयाजी।

निविदा आमंत्रण सूचना स0 – 02/2026-27

(केवल ई टेंडरिंग पद्धिति के अनुसार वेवसाईट WWW.eproc2.bihar.gov.in पर)

पत्रांक– 368 टेकारी/दिनांकः– 12/06/2026

1. कार्य का विवरणः–

क्र0 स0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू)	अग्रधन की राशि रू (ऑनलाईन अथवा फिजीकल/मेंनुअल मोड़ में भूगतान)	परिणाम विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में) रू में।	बेल्ट्रान को देय बिड प्रोसेसिग की (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में) रू में।	कार्य समाप्ति की अवधि
01	"Restoration work of Sone High Level Canal System under Sone High Level Canal Division Tekari"	3400000.00	68000.00	5000.00	590.00	02 माह

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथिः– दिनांक–12.06.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथिः– दिनांक–06.07.2026 से दिनांक–11.07.2026 के 03:00 बजे अपराह्न तक। सिर्फ वेबसाईट WWW.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. प्री बिड मिंटिंग की तिथि, समय एवं स्थानः– दिनांक–08.07.2026 को 03:00 बजे अपराह्न में कार्यपालक अभियंता का कार्यालय सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी, गयाजी।
5. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समयः– दिनांक–13.07.2026 को 3:30 बजे अपराह्न (सिर्फ वेबसाईट WWW.eproc2.bihar.gov.in पर)
6. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समयः– सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी। WWW.eprc2.bihar.gov.in पर)
7. निविदा खोलने का स्थानः– WWW.eproc2.bihar.gov.in पर)
8. निविदा की वैधता अवधिः– 120 दिन
9. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पताः– कार्यपालक अभियंता सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी, गयाजी।
10. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु बेबसाईट WWW.eproc2.bihar.gov.in तथा कार्यालय के सूचना पट्ट पर पर देखा जा सकता है।

12/6/26

कार्यपालक अभियंता
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल,
टेकारी, गयाजी।

12/06/26

12/06/26

12/06/26

निविदा के नियम एवं शर्ते।

1.. कोई भी संवेदक, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते है परन्तु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना, उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त होने के बाद अनिवार्य होगा।

2. ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password), अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान [illegible]।

3. ई– निविदा मात्र वेबसाईट www.eproc2,bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

4. (क) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण [illegible] मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा), का भुगतान online mode (e-Payment mode) अर्थात्, Internet Payment Gateway; Credit/Debit Card/ Internet Banking/ NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रुप में जमा की जाने वाला राशि online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा।Online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card, Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक–88 दिनांक– 29.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(x) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/ Non Submission of Tender/ Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, NetworkTraffic/Holidays or any other reason."

(घ) BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e -Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode (To be Pledged in favour of Executive Engineer, Sone high level canal division Tekari, Gayaji)

5. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

6. किसी भी प्रकार के शुद्धि–पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द अथवा विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होगें।

7. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी अभिलेख PDF, MS Office (Compatibility Mode), JPEG,ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में uploaded documents Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

8. संवेदक स्कैन पर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/ visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।

9. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।

10. संवेदक के विपत्र से भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु 1% (एक प्रतिशत) शेष की राशि एवं नियमानुसार जी.एस.टी की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक में रॉयल्टी, मालिकाना फीस एवं अन्य करों की कटौती नियमानुसार विपत्र से की जाएगी।

11. संवेदको को अपने विपत्रों के साथ व्यवहृत लघु खनिजों के वैधानिक स्रोतों से कय के समर्थ में ई–चालान (मुल में) समर्पित करना होगा। रॉयल्टी एवं मलिकाना फिस के मामले में विभागीय पत्रांक 824 दिनांक 22.09.2025 तथा खान एवं भू–तत्व विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 4418 दिनांक 19.10.2024, पत्रांक 520 दिनांक 28.01.2025 पत्रांक, 1407

दिनांक 06.03.2025 एवं पत्रांक 5107 दिनांक 22.09.2025 के आलोक में रॉयल्टी एवं मलिकाना फीस की कटौती की जाएगी। रॉयलटी एवं मलिकाना फीस की कटौती कार्य में प्रयुक्त खनिज के आधार पर आपूर्तिकर्त्ता/कार्य संवेदक के विपत्र से समय– समय पर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार एवं जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

12 विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई–टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन, पटना (0612–2235241) एवं सहायता कक्ष (**Help Desk**) से दूरभाष संख्या–91–7605084942 एवं 18005726571 (**Toll free**) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

13 पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक 4439 (E) दिनांक 17.07.2023 के क्रम में एव , बिहार के अधिसूचना सं0 447(S) दि0 16.01.2020–सह–पठित ज्ञापांक–448(S) दि0 16.01.2020 एवं ज्ञापांक 449(S) दि0 16.01.2020 तथा जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 536 दिनांक 18.07.2023 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए । Additional performance guarantee को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

14 जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों/पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जायेगा।

15 कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी/बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।

16. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

17. जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 536, दिनांक 13.06.2013 के परिशिष्ट–3 के अनुरूप नोटराईज्ड शपथ पत्र जो कार्य विशेष के लिए निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की तिथि के बीच में निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा।

18. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल पर कार्य की प्राक्कलित एवं कार्य संपादन में आनेवाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो ले। एकरारनामा संपादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य संपादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे।

19. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित्त दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

20. जल संसाधन विभाग का पत्रांक–686 दिनांक 19.08.2014, पत्रांक–200, 201, 202 दिनांक 14.03.2016, पत्रांक–704 दिनांक 03.08.2018 एवं पत्रांक 274 दिनांक 18.04.2016 में दिये गये शर्तों का एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

21 चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में विभागीय पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

22 खान एवं भूतत्व विभाग, पटना का पत्रांक 4352 दिनांक 30.08.2022, पत्रांक 4587 दिनांक 11.09.2023, ज्ञापांक–4418/एम0, पटना दिनांक 19.10.2024 एवं वाणिज्य कर विभाग पटना का पत्रांक 3265 दिनांक 01.12.2022 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

23 जल संसाधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक– 01/PMC/vivid/161/2023-205 दिनांक– 20.03.2023 के निदेशानुसार CBud App (Call before U dig App) के माध्यम से कार्य संबंधी सूचना देना अनिवार्य होगा।

24. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा इस मद में कोई भी दावा या ब्याज इत्यादी अनुमान्य नहीं होगा।

25. संवेदक द्वारा विविध कार्यों के लिए एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–02 पर किया जाएगा तथा पथ निमार्ण विभाग के संकल्प संख्या–ए0–21 नियम 08/92–6113 (ए) दिनांक 18.01.1992 एकरारनामा प्रपत्र एफ–02 की कंडिका 23 को विलोपित माना जायेगा।

26. निविदा में सफल संवेदक को एकरारनामा करने के उपरान्त साप्ताहिक या मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

27. किसी भी विभाग में Debar/Black listed किये गये संवेदक का न्युनतम दर रहने पर भी उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

28. संवेदक आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यक्तानुसार सभी यंत्र/संयंत्रो/ गुण नियंत्रण उपकरणों व्यवस्था स्वयं करनी होगी। निमार्ण सामग्री यथा सिमेंट, लोहे की आपुर्ति विभाग द्वारा नहीं की जाएगी, परन्तु मानक के आधार पर निर्धारित मात्रा आपेक्षित तथा सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

29. कार्य आवंटित होने पर निर्धारित अवधि तक एकरारनामा नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई करते हूए अग्रधन की राशी जब्त कर ली जाएगी।

30. निविदा प्राप्ती की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को प्राप्त खोली जाएगी।

31. श्रम संसाधन विभाग, के पत्रांक 1020 दिनांक 01.02.2024 द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा तथा कार्यदेश निर्गत होने के बाद संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए श्रम संसाधन विभाग से अनुज्ञिप्त (License) प्राप्त करना होगा।

32. मिट्टी के संपीडन के संबंध में संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग का पत्रांक 730 दिनांक 17.10.2019 तथा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक– 01/PMC/वि वि/k/182/2024–142 दिनांक–10.02.2025 से निर्गत योजनाओं की गुणवत्ता प्रबंधन मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य होगा।

33. निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना आवश्यक होगा।
" I the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachment are true and correct and if found fake / forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful Punishment as well as black Listing''

12/6/26
कार्यपालक अभियंता
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टिकारी
12/06/26 12/06/26 12/06/26

पत्रांकः– 368 /टिकारी,दिनांकः– 12/06/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना को साफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्र में इसके प्रकाशन हेतु अग्रेतर कार्यवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 यथोक्त।

12/6/26
कार्यपालक अभियन्ता,
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टिकारी
12/06/26 12/06/26 12/06/26